

झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय
एफ0 एफ0 पी0 भवन, धुर्वा, राँची।

॥ आम सूचना ॥ पत्रांक 1390/दिनांक 18.12.2020

एतद् द्वारा सभी वाहन स्वामी को सूचित किया जाता है कि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या-2276, दिनांक-20.10.2020 के आलोक में कोरोना महामारी (COVID-19) के रोकथाम एवं प्रसार को रोकने हेतु राज्य में प्रभावी Lockdown के कारण अपरिचालित व्यवसायिक वाहनों के कर में छूट प्रदान कराने का निर्णय लिया गया है। तदालोक में वांछित टैक्स छूट प्राप्ति विहित आवेदन https://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx पर जाकर ऑनलाइन भरा जाना सुनिश्चित की जाय। विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाइट <https://jhtransport.gov.in> तथा <https://spermit.jharkhand.gov.in> पर भी उपलब्ध है।



संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।



झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय
एफ0 एफ0 पी0 भवन, धुर्वा, राँची।

॥ आम सूचना ॥

एतद् द्वारा सभी वाहन स्वामी को सूचित किया जाता है कि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या-2276, दिनांक-20.10.2020 के आलोक में कोरोना महामारी (COVID-19) के रोकथाम एवं प्रसार को रोकने हेतु राज्य में प्रभावी Lockdown के कारण अपरिचालित व्यवसायिक वाहनों के कर में छूट प्रदान कराने का निर्णय लिया गया है। तदालोक में वांछित टैक्स छूट प्राप्ति विहित आवेदन https://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx पर जाकर ऑनलाइन भरा जाना सुनिश्चित की जाय। विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाइट <https://jhtransport.gov.in> तथा <https://spermit.jharkhand.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

ह०/-
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:- पी०आ० (कर माफी) -120/2020- /राँची, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस विज्ञापन को झारखण्ड के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाए।

ह०/-
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सम

ज्ञापांक:- पी०आ० (कर माफी) -120/2020- 1390/राँची, दिनांक:- 18.12.2020

प्रतिलिपि : पी०एम०यू, परिवहन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-परि0आ0 (कर माफी)-120/2020-2276 / राँची, दिनांक-20/4/2020

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश सं0-98/HSN दिनांक-22.03.2020 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0-40-3/2020-DMI(A), Dated-24.03.2020 के द्वारा झारखण्ड राज्य में कोरोना महामारी (Covid-19) के रोकथाम एवं प्रसार को रोकने के लिए राज्य में पूर्णतया लॉकडाउन (Lockdown) घोषित किया गया तथा राज्य सरकार के आदेश से लॉकडाउन की अवधि को पुनः दिनांक-31.08.2020 तक विस्तारित की गई है। उक्त अवधि में राज्य के अंतर्राज्यीय तथा समस्त मंजिली वाहनों स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का परिचालन प्रभावित हुआ है।

राज्य में कोरोना महामारी (Covid-19) के कारण हुई लॉकडाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित में झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 (1)-सह-पठित धारा-23 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन अवधि में अपरिचालित वाहनों के संबंध में निम्न प्रकार से झारखण्ड मार्ग कर भुगतान से छूट प्रदान की जाती है:-

1. झारखण्ड राज्य में निबंधित ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा का दिनांक-24.03.2020 से 31.05.2020 तक तथा भाड़े की टैक्सियों/कैब एवं कन्ट्रेक्ट कैरेज बसों के संबंध में दिनांक-24.03.2020 से 17.05.2020 तक की अवधि में भुगतान झारखण्ड मार्ग कर की राशि।

2. झारखण्ड राज्य में निबंधित परमिटधारी मंजिली बसों एवं पारस्परिक समझौते वाले राज्यों से निर्गत परमिटधारी वैसे वाहनों जिनका पथकर दिनांक-24.03.2020 से देय था अथवा जिनका अनुग्रह अवधि (Grace Period) दिनांक-24.03.2020 को या उसके बाद समाप्त हो रही थी, का उक्त तिथि से झारखण्ड में लागू लॉकडाउन की अवधि में अव्यवहृत अंतर्राज्यीय तथा समस्त परमिटधारी मंजिली बसों, स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखण्ड मार्ग कर भुगतान से छूट प्रदान की जाती है।

मार्ग कर छूट से आवृत्त वाहनों को चिन्हित कर वर्गीकरण का कार्य संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किये जाने के उपरांत NIC द्वारा वाहन Software में तदनुसार संशोधन किया जा सकेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

20/4/2020
(क० रवि कुमार)
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग।

APPLICATION PROCESS OF TAX EXEMPTION

Step 1: Apply Through url :-

https://spermit.jharkhand.gov.in/no_use_vehicle.aspx

Step 2: Select Authority : **STA**

RTA

Step 3: Select Vehicle Permit Type - **Auto Rickshaw (All Type)**

Taxi/Cab

Bus (Contract Carriage)

Bus (Stage Carriage)

Countersignature (Other State)

Step 4: Enter the **Registration Number** and Full **Chassis Number**

Step 5: Click on **“Submit”** Button

(Note: The Vehicle Details will appear on the screen)

Step 6: Enter the **Permit Number** and **Permit Valid upto**

Step 7: Enter the Exemption **Period From** and **Period To**

Step 8: Enter the **Remarks** and **Mobile Number**.

Step 9: Click on **“I Agree Disclaimer”** and then click on **“Submit”** Button